विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण – 2008 हेतु विज्ञप्ति
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरुआसागर, झाँसी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में शासनादेश संख्या–1186/15–11–2008 दिनांक 14.11.2008 के अनुसार उ0प्र0 के अर्ह एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से जनपद झाँसी में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण–2008 में चयन हेतु अनुमन्य 80 सीटों (जिनकी संख्या घट–बढ़ सकती है), के प्रति आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। 10 प्रतिशत सीट निर्धारित अर्हताधारी शिक्षा मित्रों हेतु होगी। उक्त हेतु निर्धारित प्रारुप पर आवेदन पत्र पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह अन्तिम तिथि दिनांक 20.02.2009 की सांय 5:00 बजे तक प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरुआसागर, झाँसी को अनिवार्य रुप से प्राप्त हो जायें। डाकघर के विलम्ब के कारण निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1. शैक्षिक योग्यता –

   (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण

   एवं

   (2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थागत बी0 एड0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थी

   अथवा

   प्रदेश में संचालित महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त एल0टी0/बी0पी0एड/डी0पी0एड0/सी0पी0एड0 संस्थागत प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थी।

2. **ऐसे कार्यरत शिक्षा मित्र भी, जो उपर्युक्त बिन्दु–1(1) तथा 1(2) में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता रखते हों तथा शिक्षा मित्र के रुप में तीन शैक्षिक सत्र (वर्तमान शैक्षिक सत्र को छोड़कर) का अनुभव रखते हों तथा आद्यतन कार्यरत हों, शिक्षा मित्र श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।**

3. **आयु सीमा – विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण–2008 हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.07.2008 को न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी। राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों (स्वंय) के लिये आयु सीमा नियमानुसार शिथिलनीय होगी। विकलांग अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।**

4. **आरक्षण** – चयन में राज्य सरकार की आरक्षण नीति यथावत लागू होगी एवं निर्धारित प्रतिशत के अनुसार वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। विशिष्ट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में उ0प्र0 लोक सेवा (शारिरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्रम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा यथा संशोधित 1997 तथा 1999 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही आरक्षण देय होगा।

5. **चयन का मानदण्ड** – प्रकाशित आवेदन–पत्र के क्रमांक – 10 में अभ्यर्थियों द्वारा उल्लिखित प्रत्येक परीक्षा – हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं प्रशिक्षण परीक्षा में संपूर्ण पूर्णांक के प्रति संपूर्ण प्राप्तांक के प्रतिशत के कुल योग के आधार पर गुणांक का आगणन किया जायेगा। इस प्रकार केवल चार परीक्षाओं यथा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं बी0एड0/एल0टी0/बी0पी0एड/डी0पी0एड0/सी0पी0एड0 के अंकों प्राप्तांक प्रतिशत का योग गुणांक निर्धारित करने का आधार होगा। उक्तानुसार आगणन करते हुये आरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी, जिसमें 50 प्रतिशत महिला एवं 50 प्रतिशत पुरुष, उसमें भी 50 प्रतिशत कला तथा 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी रखे जायेंगे। **शिक्षा मित्रों हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत सीटों, जिनकी श्रेष्ठता सूची पृथक से बनायी जायेगी, में 50 प्रतिशत महिला एवं 50 प्रतिशत पुरुष का चयन किया जायेगा, लेकिन कला एवं विज्ञान वर्ग के प्रतिबंध की व्यवस्था नहीं रखी जायेगी। यदि किसी जनपद हेतु आवंटित सीट संख्या ऐसी है कि उसका महिला/पुरुष तथा विज्ञान/कला में विभाजन संभव न हो तो महिला/पुरुष तथा विज्ञान/कला का भेद न करते हुये आरक्षण का ध्यान रखते हुये सर्वोच्च गुणांक के अभ्यर्थी को चयनित किया जायेगा।**

6. ऐसे अभ्यर्थि जिन्होने बी0एस0सी0, बी0एस0सी0 (कृषि) अथवा बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान) से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वे विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी मानें जायेंगे। इनके अतिरिक्त अन्य वर्गों के उत्तीर्ण अभ्यर्थी कला वर्ग में माने जायेंगे।

7. (1) **आवेदन शुल्क** – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आवेदन शुल्क रु.40 अभ्यर्थियों के लिये आवेदन शुल्क रु.100 होगा। विकलांग अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नही लिया जायेगा, परन्तु यह छूट केवल उन्ही अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगी, जो अन्यथा उक्त चयन हेतु चिकित्सकीय उपयुक्त के मानदण्ड के आधार पर चयन के पात्र होंगे और जिन्होने अपनी विकलांगता दावेदारी की पुष्टि के लिये किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया है।
(2) आवेदन शुल्क **प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरुआसागर, झाँसी**, के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, के रुप में भुगतान **स्थल झाँसी** में देय होगा। **निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न न होने की स्थिति में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।**

8. चयन का कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन के संबंध में जनपद स्तरीय चयन समिति का निर्णय ही अन्तिम होगा।

9. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में जो सूचनाएं अंकित की जायेंगी, उन्ही के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हताएं पूरी होनी चाहिये तथा आवेदन की अन्तिम तिथि के पूर्व के निर्गत पत्र ही मान्य होंगे।

10. *इस प्रशिक्षण में चयन के लिये उ0प्र0 के अर्ह एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, अतः आवेदन पत्र के साथ उ0प्र0 में स्थायी निवासी होने का जनपद के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।*

11. महत्वपूर्ण बिन्दु

1. आवेदन पत्र **पंजीकृत/स्पीड पोस्ट** से अन्तिम **निर्धारित तिथि 20.02.2009** तक **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**, में प्राप्त होना अनिवार्य है। **अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे।**

2. एक अभ्यर्थी द्वारा **एक ही आवेदन पत्र** दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे। **एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र** भेजा जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर समस्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे।

3. आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं बी0एड0/एल0टी0 /बी0पी0एड/डी0पी0एड0/सी0पी0एड0 परीक्ष की अंकतालिका, अधिवास प्रमाण पत्र एवं जाति तथा विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि के पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो, की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाये। शिक्षा मित्र हेतु निर्धारित सीटों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त तीन शैक्षिक सत्र का शिक्षा मित्र के रुप में कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र तथा अद्यतन कार्यरत रहने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

4. लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रुप से **'विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण – 2008'** अनिवार्यता अंकित किया जायेगा। इसके साथ ही *शिक्षा मित्र की श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र तथा लिफाफे के दाई ओर ''शिक्षा मित्र हेतु'' अनिवार्य रुप से अंकित किया जाये।*

5. *शिक्षा मित्र की श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षा मित्र हेतु निर्धारित सीटों के सापेक्ष नियमानुसार सम्मिलित किया जायेगा।*

6. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में फुल स्केप साइज के कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना अनिवार्य है। अपूर्ण/हस्ताक्षर रहित/स्वहस्ताक्षरित फोटो रहित/संलग्नक रहित/साधारण डाक से प्राप्त/निर्धारित प्रारुप से भिन्न आवेदन पत्र तथा निर्धारित शुल्क के बैंक ड्राफ्ट रहित आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

7. क्रमांक 6 – लिंक कोड, क्रमांक 7 – जाति कोड, क्रमांक 8 – विशेष आरक्षण कोड तथा क्रमांक 9 – विषय वर्ग कोड 10 एवं क्रमांक 11 – अभ्यर्थन श्रेणी कोड के सम्मुख बने बाक्स में संबंधित कोड का उल्लेख अवश्य करें। जो सूचना अभ्यर्थी से **संबंधित न हो उसे काटते हुये 'X'** चिन्ह अंकित किया जाये। संबंधित बाक्स में कोड अंकित न किये जाने पर अथवा कोड के स्थान पर टिक करने या अन्य कोई निशान करने पर जाति/वर्ग अथवा विशेष आरक्षण का लाभ देय नही होगा।

8. विशिष्ट आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों यथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/विकलांगो भूतपूर्व सैनिकों (स्वंय) को संबंधित अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुरुप उनसे संबंधित मूल श्रेणी यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।

9. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी को अपनी नवीनतम **स्वच्छ स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करना अनिवार्य है।**

10. आवेदन पत्र में अंकित विवरण की जांच मूल अभिलेखों से (संबंधित अभ्यर्थी को बुलाकर) की जायेगी। **कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने अथवा प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा** एवं ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

11. जाति प्रमाण पत्र तथा विशिष्ट आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगी।

12. आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख ही अन्तिम रुप से स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र प्रेषण के बाद की तिथि का कोई भी अभिलेख बाद में स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण से इतर अभिलेख प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

13. **विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित आवेदन पत्र के प्रारुप में कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन अमान्य होगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं के आधार पर ही श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। बाद में इनमें कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। अतः सभी सूचनाएं निर्धारित स्थान पर सावधानीपूर्वक स्वच्छता से स्पष्ट अंकित की जायें। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।**

14. *यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन हेतु त्रुटिपूर्ण सूचनाएं अंकित/प्रस्तुत की जाती हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने के पूर्व उनके मूल अभिलेखों की जांच/सत्यापन सम्बन्धित संस्थाओं से कराया जायेगा। चयन/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर विसंगति पाये जाने पर चयनित/प्रशिक्षित/नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा उसको दिया गया मानदेय/वेतन वापस ले लिया जायेगा।*

15. जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित आवेदन पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति तथा डाकघर से आवेदन पत्र प्रेषण सम्बन्धी रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट की रसीद अग्रेतर पत्र व्यवहार हेतु आवेदक द्वारा अनिवार्यतः अपने पास सुरक्षित रखी जाये। **अभिलेखों की जांच सम्बंधी तथा कट ऑफ मेरिट की जानकारी हेतु जनपद की वेबसाईट http//jhansi-nic.in को देखें।**

16. प्रशिक्षण हेतु चयनित बी0एड0 / एल0टी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण अवधि न्यूनतम छह माह तथा बी0पी0एड0 / डी0पी0एड0 / सी0पी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण अवधि न्यूनतम आठ माह होगी। सैद्धांतिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद से परीक्षा की तिथि तक अभ्यर्थी विद्यालयों में क्रियात्मक प्रशिक्षण करते रहेगें तथा प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से परीक्षा तक अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को रू0 2500/– का स्टाइपेण्ड देय होगा।

17. आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाईट www.scertup.org पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड करके उपयोग किया जाये।

(बी. पी. पटेल)
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
बरुआसागर, झाँसी।